भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 173
सोमवार, 01 दिसम्बर, 2025 / 10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर देय

"तस्करी किए गए सोने और नशीले पदार्थों की जब्ती"

173. **डॉ. निशिकान्त दुबे**:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने विगत तीन वर्षों के दौरान विमानपत्तनों और बंदरगाहों पर तस्करी कर लाए गए सोने और नशीले पदार्थों की भारी मात्रा में जब्ती दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और देश के विभिन विमानपत्तनों और बंदरगाहों पर तस्करी किए गए सोने और नशीले पदार्थों की मात्रा और मूल्य कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए क्या सख्त उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन तस्करों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): हाँ। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025) तक सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा विमानपत्तनों और बंदरगाहों पर सोने और नशीले पदार्थों की जब्ती के मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या	मात्रा (किग्रा में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
विमानपत्तनों पर सोना जब्ती के मामलों का विवरण			
2022-23	4018	2775.88	1381.55
2023-24	5962	3714.38	2081.39
2024-25	2772	1848.29	1286.27
2025-26 (अक्टूबर' 25 तक)	461	259.63	254.39
बंदरगाहों पर सोना जब्ती के मामलों का विवरण			
2022-23	0	0	0
2023-24	2	1.28	0.66
2024-25	0	0	0
2025-26 (अक्टूबर' 25 तक)	0	0	0
विमानपत्तनों पर नशीले पदार्थों की जब्ती के मामलों का विवरण			
2022-23	468	1047.75	3457.22
2023-24	275	1516.43	2011.82
2024-25	515	2095.67	2231.84
2025-26 (अक्टूबर' 25 तक)	549	3029.06	3364.96

बंदरगाहों पर नशीले पदार्थों की जब्ती के मामलों का विवरण			
2022-23	9	14491.75*	5692.34
2023-24	1	22.20	220
2024-25	3	5266.17	173.10
2025-26 (अक्टूबर' 25 तक)	0	0	0
* इस आंकड़े में हेरोइन में भिगोई गई 13864 किलोग्राम मुलेठी की जड़ों की जब्ती का एक मामला भी शामिल है।			

(ग): सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाएं एवं डीआरआई सोने की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से निरंतर निगरानी रखते हैं एवं आसूचना, अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली) एपीआईएस (की सहायता से यात्रियों का रूप-रेखण, जोखिम आधारित अवरोधन एवं लक्ष्यीकरण, गैर-अंतर्वेधी निरीक्षण जेसे कि सामान व कंटेनर स्कैनिंग, विमानों सहित वाहकों की तलाशी, ओर अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय जैसे परिचलनात्मक उपाय करते हैं। तस्करी के नए तरीकों के बारे में क्षेत्रीय संरचनाओं को नियमित रूप से सुग्राहित किया जाता हैं। सोने की तस्करी के मामलों का पता चलने पर, तस्करी किए गए सोने की जब्ती व अधिहरण तथा तस्करी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियोजन समेत कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ): सोने के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	उन मामलों की संख्या जिनमें अभियोजन चलाए गए	इन मामलों में अभियोजित व्यक्तियों की संख्या
विमानपत्तनों पर सोने की तस्करी के मामले		
2022-23	481	759
2023-24	174	280
2024-25	253	342
2025-26 (अक्टूबर' 25 तक)	117	186
बंदरगाहों पर सोने की तस्करी के मामले		
2022-23	0	0
2023-24	0	0
2024-25	0	0
2025-26 (अक्टूबर' 25 तक)	0	0
विमानपत्तनों पर नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले		
2022-23	144	139
2023-24	153	179
2024-25	209	253
2025-26 (अक्टूबर' 25 तक)	209	268
बंदरगाहों पर नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले		

2022-23	7	18
2023-24	0	0
2024-25	3	6
2025-26 (अक्टूबर' 25 तक)	0	0

****